[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2019 का विधेयक संख्यांक 13

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. कतिपय संस्थाओं की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

संस्थान

4. संस्थानों का निगमन ।
5. संस्थाओं के निगमन का प्रभाव ।
6. संस्थानों की शक्तियां और कृत्य ।
7. संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।
8. संस्थान का अलाभकारी विधिक सत्ता होना ।
9. संस्थानों में शिक्षण ।

अध्याय 3

संस्थानों के प्राधिकारी

10. संस्थानों के प्राधिकारी ।
11. शासी बोर्ड ।
12. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
13. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों और उनको संदेय भत्ते ।
14. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना ।
15.
16. सिनेट ।
17. सिनेट के कृत्य ।
18. अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।
19. निदेशक ।
20. कुल सचिव ।
21. अन्य प्राधिकारी और अधिकारी ।

22. नियुक्तियां ।

23. परिनियम ।

24. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

25. अध्यादेश ।

26. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

27. माध्यस्थम अधिकरण ।

अध्याय 4

परिषद्

28. परिषद् की स्थापना ।

29. परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

30. परिषद् के कृत्य ।

31. परिषद् की बैठक ।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

33. संस्थान की निधि ।

34. लेखा और संपरीक्षा ।

35. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

36. रिक्तियों आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

38. नियम बनाने की शक्ति ।

39. नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

40. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

41. संक्रमणकालीन उपबंध ।

अनुसूची

[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2019 का विधेयक संख्यांक 13

[दि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलोजी, इंट्रेपरेन्यूरशीप एंड मैनेजमेंट बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019

खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान करने और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि तथा ज्ञान का प्रसार करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

कतिपय संस्थाओं की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषणा ।

2. अनुसूची में उल्लिखित संस्थानों के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं । अतः, यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसा संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "बोर्ड" से किसी संस्थान के सम्बन्ध में धारा 11 में निर्दिष्ट शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "तत्समान संस्थान" से अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित किसी संस्थान के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट संस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) "परिषद्" से धारा 28 के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "निदेशक" से धारा 19 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) "विद्यमान संस्थान" से अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित संस्थान अभिप्रेत है ;

(छ) "निधि" से धारा 33 के अधीन बनाए रखे जाने वाले संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(ज) "संस्थान" से अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित संस्थान अभिप्रेत है ;

(झ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है ;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) "कुलसचिव" से धारा 20 के अधीन नियुक्त संस्थान का कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) "सिनेट" से धारा 16 में निर्दिष्ट संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है ;

(ण) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत विद्यमान संस्थान अभिप्रेत है ; 1860 का 21

(त) किसी संस्थान के सम्बन्ध में "परिनियम और अध्यादेश" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उस संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थानों का निगमन ।

4. इस अधिनियम प्रारम्भ के तारीख से ही, अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित प्रत्येक संस्थान का निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति का

अर्जन, धारण, व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उसके विरूद्ध वाद लाया जाएगा ।

संस्थाओं के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारम्भ के तारीख से ही,--

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में विद्यमान संस्थान के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्स्थानी संस्थान के प्रति निर्देश है ;

(ख) किसी विद्यमान संस्थान की या उससे सम्बन्धित सभी चल और अचल संपत्तियां तत्समान संस्थान में निहित हो जाएंगी ;

(ग) किसी विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और दायित्व, तत्स्थानी संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे ।

(घ) ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा, तत्समान संस्थान में उसी सेवा धृति के साथ, उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा, जैसे वह उसे उस दशा में धारण करता है, यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और तब तक इस प्रकार धारण करता रहेगा, जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसकी सेवाधृति, पारिश्रमिक, निबंधन और शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यकतः परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :

परंतु यदि इस प्रकार का किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा उक्त कर्मचारी से की गई संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार समाप्त किया जा सकेगा या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का उसको संदाय करके संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज के अधीन विद्यमान संस्थान के निदेशक या कुलपति और अन्य अधिकारियों के प्रति कोई निर्देश, चाहे वह किसी भी प्रकार के शब्दों में हो, का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह तत्समान संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों के प्रति निदेश है ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विद्यमान संस्थान में किसी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस संस्थान से, जिससे ऐसे व्यक्ति ने प्रव्रजन किया है, पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर ऐसे प्रारम्भ पर तत्समान संस्थान को प्रव्रजन कर लिया है और उसके पास रजिस्ट्रीकृत हो गया है ; और

(च) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व जो उसके द्वारा या उसके विरूद्ध संस्थित किए जा सकते थे, किसी विद्यमान संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध संस्थित

या सभी वाद और अन्य विधिक कार्रवाइयां, तत्समान संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी ।

संस्थानों की शक्तियां और कृत्य ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं में और इंजीनियरी प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रबंध की ऐसी किन्हीं अन्य शाखाओं में, जो संस्थान ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान के लिए और ऐसी शाखाओं में विद्या के अभिवर्धन और ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करना ;

(ख) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां या पदवियां प्रदान करना ;

(ग) मानद डिग्रियां या अन्य विशिष्टियां प्रदान करना ;

(घ) फीसों और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(ङ) छात्रों के निवास के लिए छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उनका रख-रखाव और प्रबंध करना ;

(च) संस्थान के सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों और छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण करना और नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सांस्कृतिक और सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करना ;

(छ) छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों के रख-रखाव के लिए उपबंध करना ;

(ज) शैक्षणिक और अन्य पदों को संस्थित करना और निदेशक के सिवाय उन पर नियुक्ति करना ;

(झ) संस्थान से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी संपत्ति के विषय में ऐसी रीति से संव्यवहार करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए ठीक समझे ;

(ञ) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करना और यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं या अंतरकों से चल या अचल संपत्ति की वसीयत में उसका संदान या अंतरण प्राप्त करना;

(ट) विश्व के किसी भी भाग में ऐसी शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनका उद्देश्य पूर्णतया या भागतः अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा संस्थान के उन उद्देश्यों के समरूप है और साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल हों, सहयोग करना और उनकी सहायता करना;

(ठ) अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायता वृत्ति, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ; और

(ड) ऐसी सभी बातें करना, जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अचल संपत्ति का किसी रीति में व्ययन नहीं करेगा ।

संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

7. (1) प्रत्येक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी लिंग, मूलवंश पंथ, जाति या वर्ग के हों और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों या कर्मकारों को प्रवेश देने या नियुक्त करने में या किसी भी अन्य बात के सम्बन्ध में, वह जो भी हो, धार्मिक विश्वास या कसौटी के बारे में कोई मानदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) कोई भी संस्थान किसी ऐसी संपत्ति की कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं करेगा जिसमें परिषद् की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विरूद्ध कोई शर्तें या बाध्यताएं अंतर्ग्रस्त हैं ।

(3) प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व उसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रकटित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंडों के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा :

परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संस्थान को स्त्रियों, दिव्यांगों या सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के और विशिष्टितया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करती है :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक संस्थान केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्था होगा ।

2007 का 5

संस्थान का अलाभकारी विधिक सत्ता होना ।

8. (1) प्रत्येक संस्थान एक अलाभकारी विधिक सत्ता होगी और ऐसे संस्थान के राजस्व में के अधिशेष के, यदि कोई हो, किसी भाग को, इस अधिनियम के अधीन उसकी संक्रियाओं के बारे में सभी व्ययों को चुकाने के पश्चात्, ऐसे संस्थान की अभिवृद्धि और विकास अथवा उसमें अनुसंधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान अपनी आत्मनिर्भरता और पोषणीयता के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा ।

संस्थानों में शिक्षण ।

9. प्रत्येक संस्थान में सभी शिक्षण कार्य संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा ।

अध्याय 3

संस्थानों के प्राधिकारी

संस्थानों के प्राधिकारी ।

10. संस्थान के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--

(क) शासी बोर्ड ;

(ख) सिनेट ; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

शासी बोर्ड ।

11. (1) प्रत्येक संस्थान का शासी बोर्ड उस संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :--

(क) खाद्य, उद्योग या शिक्षा या आहार विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विख्यात व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष ;

(ख) संस्थान का निदेशक -- सदस्य, पदेन ;

(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती -- सदस्य ; पदेन ;

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती -- सदस्य, पदेन ;

(ङ) एक प्रतिनिधि, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो -- सदस्य, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले दो प्रतिनिधि -- सदस्य ;

(छ) भारतीय प्रबंध संस्थान से एक प्रतिनिधि -- सदस्य, पदेन ;

(ज) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एक प्रतिनिधि -- सदस्य, पदेन ;

(झ) संस्थान का संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो -- सदस्य, पदेन ;

(ञ) सचिव, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती -- सदस्य, पदेन ;

(ट) आचार्यों, सह-आचार्यों और सहायक आचार्यों में से ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम से संस्थान के तीन संकाय सदस्य -- सदस्य, पदेन ;

(ठ) सम्बद्ध राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो -- सदस्य, पदेन ;

(ड) संस्थान का कुलसचिव -- सदस्य-सचिव, पदेन ;

(3) अध्यक्ष को किन्हीं ऐसे विशेषज्ञों को, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसे आमंत्रित बैठकों में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे ।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

12. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड, संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करना ;

(ख) संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा और उसका अनुमोदन करना ;

(ग) संस्थान के विकास के लिए योजना की परीक्षा और उसका अनुमोदन करना तथा ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त के स्रोतों का पता लगाना ;

(घ) अध्ययन के विभागों, संकायों या विद्यालयों की स्थापना करना और संस्थान में अध्ययन कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को आरंभ करना ;

(ङ) देश के भीतर, खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और सहबद्ध विषय क्षेत्र केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् स्थापित करना ;

(च) डिग्रियां, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां या उपाधियां देना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित और प्रदान करना ;

(छ) सम्मानिक उपाधियां, ऐसी रीति में देना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ज) सम्मानिक पुरस्कार और अन्य उपाधियां देना ;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों को सृजित करना और विनियमों द्वारा सेवा की अर्हता, वर्गीकरण, उसके निबंधन और शर्तें तथा ऐसे पदों की नियुक्ति की पद्धति का परिनियमों द्वारा अवधारण करना ;

(ञ) भारत के बाहर, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार और ऐसे बाहरी देश में तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबंधों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और सहबद्ध विषय क्षेत्र केंद्र स्थापित करना ;

(ट) संस्थान के निदेशक को, ऐसे कार्य प्रदर्शन उद्देश्यों के आधार पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, परिवर्तनीय वेतन का संदाय करना ;

(ठ) परिनियम बनाना, उनका संशोधन और निरसन करना ;

(ड) अध्यादेशों पर विचार करना और उनका उपांतरण करना या उन्हें रद्द करना ; और

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या समनुदेशित किए जाएं ।

(3) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों द्वारा, बोर्ड की ऐसी शक्तियां और कृत्य, निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(4) बोर्ड, संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में निदेशक के कार्य प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा :

परन्तु ऐसे पुनर्विलोकन में, ऐसे मानदंडों के आधार पर, संस्थान के संकाय सदस्यों के कार्य प्रदर्शन का पुनर्विलोकन, नियतकालिकता और ऐसे निर्देश-निबंधन, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, सम्मिलित होंगे ।

(5) बोर्ड, संस्थान के निगमन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका संकाय भी है, कार्य प्रदर्शन का, दीर्घकालिक युक्ति के मानदंडों और संस्थान की संचालन योजना तथा ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर जैसा बोर्ड विनिश्चय करे, मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ समूह की अर्हता, अनुभव और चयन की रीति वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(7) उपधारा (5) के अधीन मूल्यांकन और पुनर्विलोकन की रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा, केंद्रीय सरकार को, उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ, प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, उसके द्वारा की जाने वाली अगली कार्रवाईयों के सम्बन्ध में बोर्ड को सुझाव देगी ।

(8) जहां अध्यक्ष या निदेशक की राय में, स्थिति इतनी आपातिक है कि संस्थान के हित में तुरन्त विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है, वहां अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से, अपनी राय के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसे आदेश बोर्ड द्वारा अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(9) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृत्यों का निर्वहन करते हुए, केन्द्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होगा और केन्द्रीय सरकार नीति विषयक मामलों पर लोकहित में बोर्ड को निदेश जारी कर सकेगी ।

(10) बोर्ड को उतनी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों और उनको संदेय भत्ते ।

13. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य की पदावधि, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह ऐसा पद, जिसके आधार पर वह बोर्ड का सदस्य है, धारण करता है ।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदेन सदस्य से भिन्न कोई पदमुक्त सदस्य, जब तक परिषद् अन्यथा निदेश न दे, उसके स्थान पर किसी सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशित किए जाने तक या छह मास की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड के सदस्य ऐसे भत्तों के लिए, जिनका परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाए, हकदार होंगे ।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना ।

14. जब कोई रिक्ति अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में चाहे, वह हटाए जाने, पद त्याग, मृत्यु या अन्यथा के कारण उद्भूत होती है तो ऐसी रिक्ति धारा 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

सदस्यों का त्याग पत्र ।

15. पदेन सदस्य से भिन्न, अध्यक्ष या कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में, सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न अध्यक्ष या कोई सदस्य, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले ही छोड़ने के लिए अनुज्ञात न किया जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति तक या उनके पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को सम्यकतः नियुक्त किए जाने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इसमें जो भी सबसे पहले हो, पद धारण करता रहेगा ।

सिनेट ।

16. (1) सिनेट, संस्थान का प्रधान शिक्षण निकाय होगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :--

(क) निदेशक -- अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) कुलसचिव -- सदस्य, पदेन ;

(ग) संस्थान में शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा उस रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त आचार्यों के स्तर पर सभी पूर्णकालिक संकाय -- सदस्य, पदेन ;

(घ) ऐसे तीन व्यक्तियों को, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं है, ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएं, जिनमें से एक-एक आहार विज्ञान, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से होगा -- सदस्य ; और

(ङ) कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं -- सदस्य, पदेन ;

(2) खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की होगी ।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

सिनेट के कृत्य ।

17. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संस्थान के सिनेट को संस्थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरों पर नियंत्रण रखेगी और साधारण विनियमन करेगी और उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।

18. (1) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों और संस्थान के दीक्षान्त समारोहों की साधारणतया अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाते हैं ।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

निदेशक ।

19. (1) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी ।

(2) निदेशक, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और संस्थान के उचित प्रशासन के लिए तथा शिक्षा प्रदान करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) निदेशक, बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रस्तुत करेगा ।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों दवारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

कुलसचिव ।

20. (1) प्रत्येक संस्थान का कुलसचिव ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, उसके सामान्य मुद्रा, निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्तियों का अभिरक्षक होगा जो बोर्ड उसके भार साधन में सौंपे ।

(2) कुलसचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) कुलसचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या निदेशक द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

अन्य प्राधिकारी और अधिकारी ।

21. ऊपर वर्णित प्राधिकारियों और अधिकारियों से भिन्न प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

नियुक्तियां ।

22. प्रत्येक संस्थान के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,--

(क) यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में सहायक आचार्य या उसके ऊपर के पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति अशैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में किसी ऐसे पद पर की जाती है जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 से ऊपर है तो बोर्ड द्वारा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, निदेशक द्वारा,

की जाएंगी ।

परिनियम ।

23. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ख) शिक्षण विभागों का बनाया जाना ;

(ग) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की उपाधियों एवं डिप्लोमाओं हेतु परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ङ) अर्हताएं, वर्गीकरण, सेवा के निबंधन और शर्तें और शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य पदों पर नियुक्ति की पद्धति

(च) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना ;

(छ) संस्थान के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य ;

(ज) छात्र-निवास और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण ;

(झ) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभार प्रभारित करना ;

(ञ) बोर्ड के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ट) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ठ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चियों का अधिप्रमाणन ;

(ड) संस्थान की वित्तीय जवाबदेही ;

(ढ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कारबार के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और,

(ण) कोई ऐसा अन्य विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

24. (1) प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रखी जाएगी ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम के लिए या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसका अनुमोदन कर सकेगी या उसे बोर्ड के विचारणा के लिए भेज सकेगी ।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक केन्द्रीय सरकार उसका अनुमोदन नहीं कर देती ।

अध्यादेश ।

25. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :--

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान की सभी उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए पात्र होंगे ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करने की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और

(ज) कोई अन्य विषय, जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किए जाएं ।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

26. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदेशित करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश बोर्ड को इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने आगामी अधिवेशन में उस पर विचार करेगा ।

(3) बोर्ड को ऐसे किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसे संकल्प की तारीख से ऐसा अध्यादेश, यथास्थिति, तदनुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

माध्यस्थम अधिकरण ।

27. (1) किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारियों के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, संपृक्त कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर, माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संपृक्त कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(2) माध्यस्थम अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उक्त अधिकरण द्वारा विनिश्चय किए गए मामलों की बाबत कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाया जाएगा :

परंतु इस उपधारा में की गई कोई बात, यथास्थिति, कर्मचारी या संस्थान को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का लाभ लेने से प्रवरित नहीं करेगी ।

(3) माध्यस्थम अधिकरण को स्वयं की ही प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(4) माध्यस्थम से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 4

परिषद्

परिषद् की स्थापना ।

28. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक केन्द्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा जिसे परिषद् कहा जाएगा ।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भारसाधक मंत्री, केन्द्रीय सरकार -- अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का राज्य मंत्री, केन्द्रीय सरकार -- सदस्य, पदेन ;

(ग) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण -- सदस्य, पदेन ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का, जो वित्त से सम्बन्धित हो, भारसाधाक सचिव, भारत सरकार -- सदस्य, पदेन ;

(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था - सदस्य, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का, जो उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित हो, भारसाधक सचिव, भारत सरकार -- सदस्य, पदेन ;

(छ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से तीन विख्यात प्रतिनिधि, जो परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं -- सदस्य ;

(ज) ऐसे तीन विख्यात शिक्षाविद्, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हों, परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं -- सदस्य ;

(झ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सम्बन्धित हो, भार साधक सचिव, भारत सरकार -- सदस्य-सचिव, पदेन ।

(3) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, सदस्यों में से एक सदस्य को परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहीत कर सकेगी ।

परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भते ।

29. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् के सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद, जिसके आधार पर वह सदस्य है, को धारण करता है ।

(3) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (छ) और खंड (ज) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पदधारण करेंगे ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् के सदस्य की रिक्ति ऐसी रीति में भरी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग तक बनी रहेगी जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया गया है ।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पदेन सदस्य से भिन्न, पदावरोही सदस्य जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा, अन्यथा निदेश न दे, तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता है या छह मास की समाप्ति तक, जो भी पहले हो ।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जिनका परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

(8) पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् का सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पद से, ऐसी परिस्थितियों और ऐसी रीति से हटाया जा सकेगा, जो विहित की जाएं ।

परिषद् के कृत्य ।

30. (1) परिषद् का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करे और यह संस्थानों के कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने की दृष्टि से अनुभवों, विचारों तथा प्रसंगों का हिस्सा बंटाने की दृष्टि से सुकर बनाएगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) संस्थान के कार्यकरण के लिए व्यापक नीति विषयक कार्य ढांचा अधिकथित करना ;

(ख) छात्रवृत्तियों, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक रूप से एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के छात्रों द्वारा अनुसंधान और उनके फायदे के लिए छात्रवृत्तियां भी हैं, के संस्थन की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(ग) संस्थान को, सामान्य हित के ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करना, जो संस्थान द्वारा, उसे निर्दिष्ट किए जाएं ;

(घ) संस्थानों के कार्यकरण में आवश्यक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना ;

(ङ) नीति विषयक उद्देश्यों की पूर्ति का पुनर्विलोकन करना ; और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

परिषद् की बैठक ।

31. परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

32. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

संस्थान की निधि ।

33. (1) प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,--

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां ; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में विनिहित की जाएंगी, जो संस्थान, बोर्ड के अनुमोदन से विनिश्चत करे ।

(3) प्रत्येक संस्थान की निधि, संस्थान के व्ययों, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपगत व्यय भी हैं, को चुकाने के लिए अनुप्रयुक्त की जाएगी ।

लेखा और संपरीक्षा ।

34. (1) प्रत्येक संस्थान उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियां, लेखे, सम्बन्धित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके दवारा इस निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

पैंशन, बीमा और भविष्य निधि ।

35. (1) प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों, जिनमें निदेशक भी है, के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी पैंशन, बीमा और भविष्य निधि स्थापित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भविष्य निधि स्थापित की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को वैसे ही लागू होंगे, मानों वे सरकारी भविष्य निधि हैं । 1925 का 19

अध्याय 6

प्रकीर्ण

रिक्तियों आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

36. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित परिषद् या किसी संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य समिति का कोई कार्य केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगा :--

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

37. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों, सिनेट या परिषद् या संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन रिक्ति को भरने की रीति ;

(ख) वे परिस्थितियां और रीति, जिनमें धारा 29 की उपधारा (8) के अधीन परिषद् के किसी सदस्य को हटाया जा सकेगा ;

(ग) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन परिषद् के अन्य कृत्य ;

(घ) धारा 31 के अधीन परिषद् की बैठक के समय और स्थान को उसमें कारबार संचालन के लिए उसकी गणपूर्ति तथा प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, तैयार किया जाएगा ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

39. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रत्येक विनियम और प्रत्येक अध्यादेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रत्येक परिनियम और प्रत्येक अध्यादेश बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक

बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम या अध्यादेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह, यथास्थिति, तत्पश्चात् नियम, परिनियम या अध्यादेश ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा ; किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण इस नियम, परिनियम या अधिनियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

40. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

41. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) किसी संस्थान का शासी बोर्ड, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए किसी नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी नए बोर्ड के गठन पर, विद्यमान बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन से पहले पदधारण कर रहे हैं, पदधारण नहीं करेंगे ।

(ख) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इस अधिनयम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त विद्यमान संस्थानों के परिनियम और अध्यादेश उस संस्थान को वहां तक लागू होते रहेंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

अनुसूची

[धारा 4 देखें]

क्रम सं.	विद्यमान संस्थान का नाम	तत्समान संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली, हरियाणा ।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली, हरियाणा ।
2.	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) तंजावुर, तमिलनाडु ।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान तंजावुर, तमिलनाडु ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, कुंडली, हरियाणा तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर, तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां हैं । ये संस्थाएं पृथक् स्वायत्त निकाय हैं जिनका उद्देश्य अनन्य रूप से विविध आवश्यकताओं का पता लगाना और किसानों सहित खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के पणधारियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों के समाधान उपलब्ध करवाने हेतु सर्वोत्तम मानव संसाधन विकसित करना हैं ।

2. वर्तमान विधान, अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019 में पूर्वोक्त संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की प्रस्थिति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है । यह संस्थाओं को नवीन अभिनव पाठ्यक्रम प्रारंभ करने तथा खाद्य प्रौद्योगिक, उद्यमिता और प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान उपलब्ध करवाने के लिए और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि तथा ज्ञान का प्रसार करने हेतु कार्यात्मक स्वायत्तता का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाएगा ।

3. विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंधित है, अर्थात् :--

(i) इस विद्या के प्रारंभ की तारीख से ही प्रत्येक विद्यमान खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान को, जो एक सोसाइटी है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाएगा और सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व संबंधित संस्थानों की परिषदों को अन्तरित हो जाएंगे ;

(ii) संस्थान के प्राधिकारी, शासी बोर्ड, सिनेट औएर ऐसे अन्य प्राधिकारी होंगे जो परिनियमों द्वारा प्राधिकारी घोषित किए जाएं ;

(iii) प्रत्येक संस्थान का शासी बोर्ड, उस संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और जो खाद्य उद्योग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विख्यात व्यक्तियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उदयोग में के ख्यातिप्राप्त दो प्रतिनिधियों, और कतिपय पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

(iv) सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों के समन्वय के लिए परिषद् के नाम से ज्ञात एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी ज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से तीन विख्यात प्रतिनिधियों और तीन विख्यात विक्षाविद् तथा कतिपय पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगी । केन्द्रीय सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री परिषद् का अध्यक्ष होगा ।

4. खंडों पर टिप्पण में विधेयक में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 फरवरी, 2019

हरसिमरत कौर बादल

खंडों पर टिप्पण

खंड 1–यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 2–यह खंड कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्ता की संस्थाएं घोषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 3–यह खंड प्रस्तावित विधान में विभिन्न पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 4–यह खंड संस्थानों के निगमन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 5–यह खंड संस्थानों के निगमन के प्रभाव जैसे किसी विद्यमान संस्थान के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्स्थानी संस्थान के प्रति निर्देश है, किसी विद्यमान संस्थान की सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां तत्समान संस्थान में निहित हो जाएंगी, किसी विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और दायित्व, तत्स्थानी संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 6–यह खंड संस्थानों की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि कोई संस्थान किसी भी रीति में किसी स्थावर संपत्ति का निपटान केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा ।

खंड 7–यह खंड संस्थान के सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होने का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि किसी संस्थान द्वारा संपत्ति की कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान में शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश पारदर्शी और तर्कसंगत मानदंड के माध्यम से निर्धारित वरीयता के आधार पर होगा ।

खंड 8–यह खंड संस्थान के अलाभकारी विधिक सता होने का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान स्व:निर्भरता और भरणीयता के लिए निधियां एकेत्रित करने का प्रयास करेगा ।

खंड 9–यह खंड संस्थान में बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार शिक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 10–यह खंड संस्थान के प्राधिकारियों अर्थात् शासी बोर्ड, सिनेट और ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 11–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक संस्थान का शासी बोर्ड उस संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा । यह खंड शासी बोर्ड की संरचना का और उपबंध करने के लिए है ।

खंड 12–यह खंड बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड संस्थान के कार्यों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा । यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड संस्थान के उद्देश्यों की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में निदेशक के कार्य निष्पादन का वार्षिक पुनर्विलोकन संचालित करेगा ।

खंड 13–यह खंड बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों और उन्हें संदेह भत्तों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14–यह खंड अध्यक्ष या सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भरे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि अध्यक्ष या सदस्य लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

खंड 16–यह खंड सिनेट के संस्थान का प्रधान शैक्षणिक निकाय होने का उपबंध करने के लिए है, जो निदेशक के रूप में अध्यक्ष और अन्य विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

खंड 17–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि सिनेट के पास संस्थान का नियंत्रण और साधारण विनियमन होगा तथा वह संस्थान में अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि सिनेट ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या सौंपे जाएं ।

खंड 18–यह खंड अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए ।

खंड 19–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि निदेशक संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा तथा वह संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि निदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा ।

खंड 20–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक संस्थान का रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संपत्तियों का अभिरक्षक होगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि रजिस्ट्रार बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के सचिव के रूप में कार्य करेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि रजिस्ट्रार निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

खंड 21–यह खंड अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 22–यह खंड यथास्थिति, बोर्ड और निदेशकों द्वारा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 23–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि परिनियम मानद उपाधियों, शिक्षण विभागों की विरचना, अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा नियुक्ति के ढंग का उपबंध कर सकेंगे ।

खंड 24–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है प्रथम परिनियम की विरचना परिषद् द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से की जाएगी और उसकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा ।

खंड 25–यह खंड संस्थान के अध्यादेशों के लिए उपबंध करता है, जो छात्रों के प्रवेश, अध्ययन पाठ्यक्रम, अध्येतावृतियां, छात्रवृतियां प्रदान किए जाने की शर्तों, परीक्षा का संचालन, छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने आदि जैसे विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

खंड 26–यह खंड यह उपबंध करता है कि अध्यादेश सीनेट द्वारा बनाए जाएंगे । यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड के पास संकल्प द्वारा किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी ।

खंड 27–यह खंड माध्यस्थम अधिकरण के लिए उपबंध करता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि माध्यस्थम अधिकरण के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

खंड 28–यह खंड परिषद् की स्थापना के लिए उपबंध करता है । यह खंड परिषद् की संरचना के संबंध में आगे और उपबंध करता है ।

खंड 29–यह खंड परिषद् के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच रिक्तियों और उन्हें संदेय भत्तों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 30–यह खंड परिषद् के कृत्यों के लिए उपबंध करता है, अर्थात् संस्थानों के सभी क्रियाकलापों का समन्वय करना और संस्थान के कार्यपालन में अभिवृद्धि करने के विचार से अनुभवों, विचारों और चिंताओं को सांझा करने को सुकर बनाना ।

खंड 31–यह खंड परिषद् की बैठकों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 32–यह खंड संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 33–यह खंड संस्थान द्वारा निधियों को बनाए रखने के लिए उपबंध करता है, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी धनों, प्राप्त हुई सभी फीसों और अन्य प्रभारों और संस्थान द्वारा प्राप्त किसी अन्य धन को जमा किया जाएगा और जिसका उपयोग संस्थान के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा ।

खंड 34–यह खंड समुचित लेखा बनाए रखने और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी संपरीक्षा किए जाने का उपबंध करता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित प्रत्येक संस्थान

के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 35–यह खंड संस्थान द्वारा उसके कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों के गठन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 36–यह खंड यह उपबंध करता है कि कार्रवाइयां और प्रक्रिया रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी ।

खंड 37–यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के लिए उपबंध करता है ।

खंड 38–यह खंड केंद्रीय सरकार की नियम आदि बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 39–यह खंड नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन के लिए और संसद् के समक्ष रखे जाने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 40–यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो । यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसा कोई आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 41--यह खंड ऐसे संक्रमणकालीन उपबंधों के लिए उपबंध करता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व कार्यरत संस्थान का शासी बोर्ड तब तक कार्य करना जारी रखेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन संस्थान के नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है । यह खंड आगे और उपबंध करता है कि जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बना दिए जाते है, तब तक विद्यमान संस्थानों के ऐसे परिनियम और अध्यादेश, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व प्रवृत्त थे, संबंधित संस्थान को वहां तक लागू होते रहेंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

वित्तीय ज्ञापन

दोनों विद्यमान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करने में कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा अन्तर्वलित नहीं हैं ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 23, बोर्ड को खंड 24 में उपबंधित रीति में नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने या परिनियमों का संशोधन या उन्हें निरसित करने के लिए सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 26 सिनेट को अध्यादेश विरचित करने के लिए सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 38 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) में वे विषय विनिर्दिष्ट हैं जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ (क) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन रिक्ति को भरने की रीति ; (ख) वे परिस्थितियां और रीति, जिनमें धारा 29 की उपधारा (8) के अधीन परिषद् के किसी सदस्य को हटाया जा सकेगा ; (ग) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन परिषद् के अन्य कृत्य ; (घ) धारा 31 के अधीन परिषद् की बैठक का समय और स्थान के उसके कारबार संचालन के लिए उसकी गणपूर्ति तथा प्रक्रिया ; (ङ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, तैयार किया जाएगा ; और (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

4. विधेयक का खंड 40 केन्द्रीय सरकार को, उस दशा में आदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है जहां अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है ।

5. वे विषय जिनकी बाबत पूर्वोक्त परिनियम, अध्यादेश और नियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उस रूप में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—3854RS(CRC)—12-02-2019.